इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 फरवरी 2018—माघ 12, शक 1939

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2018

क्र. 832-एफ-3-20-1998-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 89 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 16 मई, 2017 को जारी वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित संकल्प क्रमांक 1-2/2016-आई सी के उपाबंध-एक के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावशील करते हुए, वेतन मैट्रिक्स में दिये गये वेतन बैंड के स्तर 17 (रुपए 2,25,000) में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का वेतन तथा स्तर 16 (रुपए 2,05,400—2,24,400) में सदस्यों का वेतन विहित करती है.

No. 832-F-3-20-1998-XIII.—Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowance and other service conditions of the Chairman and Members) Rules, 2000, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 89 of the Electricity Act, 2003 (No. of 36 of 2003), the State Government, hereby, prescribes the pay with effect from 1st January, 2016 of the Chairman of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission in the level 17 (225000/-) and pay of Members in the level of 16 (Rs. 205400-224400) of the pay band given in the pay matrix as per Annexure-I of the Resolution No. I-2/2016-IC notified in Gazette of India dated 25th July 2016 of Ministry of Finance (Department of Expenditure) Government of India, issued on 16th May 2017.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.